**आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र**

**(Application under order 6, Rules 17 CPC)**

न्यायालय ............

वाद नंबर ............ सन् ............

अ०ब०स० ............ वादी

**बनाम**

स० द० फ० ........... प्रतिवादी

प्रार्थी/वादी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि प्रार्थी श्री ............ का दत्तक पुत्र है और उसी हैसियत से उसके द्वारा अचल सम्पत्ति के कब्जे का वाद दायर किया गया है जो कि स्व० श्री ............ मृतक की सम्पत्ति है।
2. यह कि विवादित सम्पत्ति का स्वामी स्व० श्री ............ को प्रतिवादी द्वारा भी माना गया है। यद्यपि प्रतिवादी द्वारा वादी के दत्तक होने को चुनौती दी गई है और वह अपने आप को स्व० श्री ............ का वारिस बताता है।
3. यह कि वादी स्व० श्री० ............ के भाई श्री ............. का पुत्र है और स्व० श्री० ..... का निकटतम उत्तराधिकारी होने के कारण उत्तम स्वत्व प्रमाणित कर सकता है । अभिकथन में संशोधन आपेक्षित है
4. यह कि वाद में अभी विचारण आरम्भ नहीं हुआ है अथवा सम्यक परिश्रम के बावजूद वादी विचारण आरम्भ करने से पूर्व वांछित संशोधन का मामला उठा नहीं सका था।
5. यह कि न्याय हित में यह आवश्यक है कि विवादग्रस्त मामले में न्याय निर्णय देने के उद्देश्य से प्रार्थी को स्व० श्री ............ का वारिस कायम करने हेतु एक वैकल्पिक क्लेम दायर करने का आज्ञा प्रदान की जाये।

**प्रार्थना**

इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि वादी/प्रार्थी को वाद पत्र को संशोधित करने हेत पैरा न० के उपरान्त निम्नांकित पैरा जोड़ने की आज्ञा प्रदान की जाये।

**(जोड़ने वाले पैरै मय क्रमांक यहां लिखे जाये)**

**स्थान ............ दिनांक** .... **प्रार्थी .........**

**द्वारा अधिवक्ता ……**

**नोट** - प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र संलग्न करें।